

दिया। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हरियाणा के हिस्से की नहर मुकम्मल हो चुकी है लेकिन जो पानी इस नहर के जरिये हरियाणा को मिलना है वह पाकिस्तान को जा रहा है क्योंकि पंजाब के हिस्से की नहर का निर्माण अभी अधर में लटका हुआ है। कई जन-आंदोलन इस मुद्दे पर हरियाणा में हो चुके हैं, कई सरकारी मंचों पर हम अपनी आवाज इसके लिए उठा चुके हैं लेकिन मतीजा वही ढाक के तीन पात।

एक बार चन्द्रशेखर जी की सरकार के समय यह उम्मीद बंधी थी कि इस नहर का निर्माण हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक बैठक की थी और उस बैठक में उन्होंने एक फैसला लिया था कि इस नहर का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंप देंगे और उसी के माध्यम से इस नहर का निर्माण कार्य करायेंगे। उसके बाद एक बैठक जल संसाधन मंत्री श्री विद्या चरण शुक्ल जी की अध्यक्षता में भी हुई। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सांसदों को एक साथ बुलाया था और कहा था कि उनके प्रदेश से बाबस्ता मुद्दों पर वह चर्चा करना चाहेंगे। उस समय हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सांसदों ने इस बात को एक स्वर से कहा था कि इस सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के बारे में चिंतित हैं। उस समय श्री विद्या चरण शुक्ल जी से भी इस नहर के निर्माण कार्य को सीमा सड़क संगठन को सौंपने की बात कही थी। लेकिन आज से चार दिन पहले इस सदन में उनके जवाब को सुन कर मुझे इस बात की हैरानी हुई कि “इसका निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को नहीं सौंपा गया बल्कि पंजाब सरकार को इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए हम कह रहे हैं और मैंने खुद एक पत्र इस बारे में मुख्य मंत्री को इस बारे में लिखा है।” महोदय, मैं साफ कहना चाहती हूँ कि सदन में इस तरह का उत्तर इस नहर के निर्माण कार्य को खटाई में डालने की साजिश है। केन्द्र सरकार जानती है कि पंजाब सरकार के पास तो अपना

कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है वह इस नहर के निर्माण के लिए कहाँ से खर्चा लाएगी। जो हमारे हिस्से की नहर बनी है, जो वर्षों पहले पूरी हो गई, उस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ फिर आज तो उसकी निर्माण लागत इतनी ज्यादा बढ़ गई है। पंजाब सरकार की नीयत और पंजाब सरकार का पैसा, यह दोनों मिल कर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न इस नहर के निर्माण के सामने लगा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस नहर का निर्माण पूरा न होने के कारण हरियाणा के किसानों में बहुत उत्तेजना है। हजारों हेक्टेयर भूमि हमारे प्रदेश में अभी अतिशय पड़ी है इस पानी के अभाव में, लाखों इन कृषि उपज से देश वंचित हो रहा है और करोड़ों रुपयों का बाटा हरियाणा सरकार को उठाना पड़ रहा है लेकिन इन सब तथ्यों की केन्द्रीय सरकार अनदेखी कर रही है। बजाय अपनी ओर से किसी एजेंसी को, सीमा सड़क संगठन जैसी एजेंसी को इस नहर का निर्माण कार्य सौंपने के, पंजाब सरकार को इस कार्य को सौंप कर के इस के निर्माण कार्य में अड़ना डाल रही है। मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के माध्यम से जल संसाधन मंत्री जी अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस मुद्दे की नज़ाकत को, महत्व को समझें और चन्द्रशेखर जी की सरकार के समय लिये गये निर्णय के अनुसार इस नहर का निर्माण कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपने का निर्णय लें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामजी लाल (हरियाणा) : मैं इस विशेष उल्लेख से एक्झोसियेट करता हूँ।

Difficulties for Indians In getting Visa to visit U.K.

श्री जगदीश प्रसाद भाबुर (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, सुषमा बहन ने तो आपको इस बात पर बघाई दी है कि आप पीठासीन हैं और उनकी जमात में शामिल हैं लेकिन मेरे और आपके दरम्यान आज एक ही

[श्री जगदीश प्रसाद माथुर]

चीज कामन है। मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने मेरे जैसी शेरवानी पहनी है। (अवधान) कोई चीज तो कामन है न।

श्रीमन्, मैं इस विषय उल्लेख द्वारा आने वाला संकट जिसका सामना भारतीयों को करना पड़ेगा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वहाँ के एक सांसद हैं जो भारतीय मूल के हैं कीथ बाज जो आजकल दिल्ली आए हुए हैं। उनका एक बयान छपा है जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली जनवरी, 1993 से भारतीयों को, पाकिस्तानी और नाइजीरिया वालों सब को, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, लेना-देना नहीं है, भारतीयों को बीजा लेने में पहली जनवरी से तकलीफ होगी। वहाँ पर एक कानून बनाया जा रहा है। जिसकी वजह से लोगों को कठिनाई होगी। असाइलम और इमिग्रेशन कर के कोई एक्ट ला रहे हैं। जहाँ तक असाइलम का सवाल है, दुनिया का जो नियम और कायदा है उसके विरुद्ध वह नहीं कर सकेंगे लेकिन इमिग्रेशन में रुकावटें डालेंगे। मेरी समस्या यह है कि हम कामन-वेल्थ के सदस्य हैं। जब भारत आजाद हुआ है तो उस समय हम लोगों ने कामन-वेल्थ का सदस्य बने रहना स्वीकार किया। उस वक्त भी यह साफ नहीं था कि कामनवेल्थ का अर्थ क्या होगा। लेकिन इतना तो था कि कम से कम भाईचारा बना रहेगा। जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे उस समय बीजा लेने की आवश्यकता नहीं थी। कामनवेल्थ कंट्रीज़ में जा सकते थे। समस्या यह है कि क्या हमारा नाता केवल कागजी है। क्या इतना भी नहीं है कि भारतवासी वहाँ जाकर अपने भाई से, बहन से, माँ से, पिता से मिल सकें। हम जानते हैं कि इंग्लैंड के बनाने में भारतवासियों का बहुत कुछ हाथ रहा है।

वहाँ पर आज व्यापारी देखें, सर्विसेज देखें, प्रोफेशनल्स देखें, उनमें भारतीय हैं और बहुत से भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं जो अफ्रीका से गये हैं। तो आज हमारे ऊपर यह रोक लगायी जाए, अच्छा नहीं है। फिर उन्हीं सज्जन ने यह कहा है :

"He was surprised that the Indian Government had not shown any concern regarding the new Bill. 'Apparently', immigration is not on the official agenda here and, so far, the issue has not been raised on a Government-to Government basis."

यह वह आदमी नहीं कह रहा है जो अनजान है, यह वहाँ का संसद सदस्य है और ट्रेजरी बेंच में बैठ चुका है। वह यह कह रहा है कि भारत सरकार इसकी चिंता नहीं कर रही है। तो हो सकता है कि भारत सरकार का जो प्रतिनिधि वहाँ बैठा है बड़ा योग्य व्यक्ति है इसमें कोई संदेह नहीं है, हमारा जो वहाँ पर नुमाइंदा है, लेकिन उनकी निगाह में नहीं आया हो या उनकी निगाह में आया हो भारत सरकार के कान में जू नहीं रेंगी है। बैठे हैं। तो मेरा कहना यह है कि आखिरकार भारतीयों के ऊपर यह बंधन क्यों लगेगा? शायद यह कहा जा सकता है कि जो यहाँ के कुछ आतंकवादी हैं या और हैं वे शरण ले लेते हैं। तो मैंने पहले कहा कि असाइलम के लिए तो अलग कायदे कानून हैं दुनिया के, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं लेकिन जिसको कहते हैं रिपैट्रिएशन ट्रीटी वह तो हमारे साथ होने वाली है उनकी, या शायद हो चुकी हो। तो जो यहाँ के ऐसे लोग आतंकवादी हैं या मुजरिम हैं उनको तो वापस लेने का आपको अधिकार होना चाहिए लेकिन आज लाखों की तादाद में वहाँ भारत के मूल निवासी हैं—उन्होंने पहले ही पाबंदी लगायी थी कि पत्नी ऐसी नहीं हो, माँ ऐसी नहीं हो, जाने कितने बंधन थे, तो और बंधन नहीं लगाए जाएं। उन्होंने खुद कहा है श्री कीथ बाज ने :

"I do not see any logical reason that demands such an enactment. Both countries have good relations. It is not as if they are at war. In 1992, we ought to be conferring more rights on the people. But there we are. We are taking away their rights."

इसके बाद और कहते हैं। वे इस प्रकार का खिल ला रहे हैं कि जिसमें केवल इंग्लैंड के भीतर जाने में हमको कठिनाई नहीं होगी, योरोप के देशों में भी जाने में कठिनाई हो जाएगी। हमारे व्यापारी हैं हमारे वहाँ पर दस्तकार हैं, हमारे वहाँ रहने वाले हैं। तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि इस ओर गम्भीरता से देखें और डिप्लोमैटिक लेवेल पर ब्रिटेन की सरकार से बात करें जिससे हमारी कठिनाइयों में बढ़ावा न हो।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED SIBTE ' RAZI) : Shri Subramanian Swamy He is not here. Shri Mentay Padma abham. He is also not here, Shri Misa R. Ganesan.

Deliberate delay In holding Staff Council Elections in Integral Coach Factory, Madras

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu) : Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to raise an important point concerning the workers of Integral Coach Factory, Madras.

Sir, as you know, the Integral Coach Factory is an important production unit of the Indian Railways. In this House itself, I have spoken on several occasions about the deplorable condition of the workers, but nothing has been done so far. Therefore, once again, through this Special Mention, I would like to draw the kind attention of the hon. Railway Minister and request him to take immediate action in this matter. The hon. Minister should not, as usual, turn a deaf ear to this important issue because the rights and welfare of more than 16,000 workers are involved in it.

Sir, in the ICF hospital, there is a drastic shortage of doctors. An employee has to wait nearly four-five hours to see

a doctor in the hospital. On 7-7-1992, more than 2,000 workers assembled in front of the hospital and staged a demonstration over this. As the President of the Union, I also participated in it. I personally saw the pathetic situation prevailing there. Excepting empty promises and assurances given, at that time, by the Acting Chief Medical Officer, nothing has been done till date. Their grievances have not been redressed till date.

Sir, there is a Staff Council for the ICF. Elections for the same have been inordinately delayed by the Management on some pretext or the other. In fact, elections were due in October, 1991, itself. We are now in December, 1992. When I asked, in the previous Session, about the unreasonable delay, the Minister said that some court had stayed the elections. I verified it. There was no stay, as such, on the holding of elections. The Madras High Court had granted stay only in regard to a circular—No. 63 issued, arbitrarily and illegally, without any jurisdiction, by the General Manager . . . just to curb some of the eligible staff members from contesting in that election and not to the main election. But the Minister coolly replied that the case is pending. In fact, the G.M. has no powers as such to amend or alter any rule or regulation in respect of the Staff Council election.

Now the said case is also over on 27-11-1992 the Madras High Court Bench in the Writ Appeal 1865 of 1992 had clearly stated in its judgement that election to the Staff Council should be conducted as per schedule on 23-12-1992. Hence there is no problem. The main culprit who is responsible for all these illegalities and atrocities is the Chief Personnel Officer. He is in ICF for more than 7 years. According to Railway rules, officers of junior administrative grade and above have to be transferred once in 4 years and the Minister has also admitted the same in one of the replies earlier. But contrary to the above rule, not only the CPO, even the Chief Workshop Engineer, Deputy Chief Personnel Officer, Deputy Chief Mechanical Engineer, have been working in ICF for more